

# **इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक**

## **क्षेत्रीय कार्यालय: बाँदा**

### **नवीन शाखा सड़ा(बसराही मोड़)हेतु परिसर की आवश्यकता**

दिनांक 17.10.2014

बैंक को अपनी नई शाखा सड़ा(बसराही मोड़) जनपद बाँदा में नई शाखा हेतु भवन, जिसका क्षेत्रफल लगभग 116 वर्गमीटर (1250 वर्गफुट ) हो, की आवश्यकता है। भूतल पर स्थित परिसर को वरीयता दी जायेगी। इस उद्देश्य से टेक्निकल एवं फाइनेन्शियल बिड की दोहरी प्रणाली के अन्तर्गत प्रस्ताव आमंत्रित है।

इच्छुक व्यक्ति/संस्थायें (दलाल नहीं) टेक्निकल एवं फाइनेन्शियल बिड के प्रारूप नजदीकी शाखा अथवा इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, बाँदा से सोमवार से शुक्रवार को प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक एवं शनिवार को प्रातः 10 बजे से अपरान्ह 2 बजे तक दिनांक 08.11.2014, अपरान्ह 2 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं अथवा बैंक की वेब साइट [www.allahabadgraminbank.in](http://www.allahabadgraminbank.in) से डाउनलोड कर सकते हैं।

पूर्ण रूप से भरे गये प्रस्ताव, जिनमें समस्त आवश्यक सूचनायें हों, अलग-अलग सीलड लिफाफों में जिन पर टेक्निकल बिड एवं फाइनेन्शियल बिड अंकित हो, लिफाफे के ऊपर प्रस्तावित शाखा का नाम एवं नीचे बाये कोने में अपना पूरा नाम पता एवं दूरभाष संख्या लिखते हुए क्षेत्रीय प्रबन्धक, इलाहाबाद यू पी ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, डा0 भार्गव की कोठी, चिल्ला रोड़, बाँदा को प्रेषित किये जायेंगे।

अलग-अलग सीलड लिफाफों में (टेक्निकल बिड एवं फाइनेन्शियल बिड) पूर्ण प्रस्ताव जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक 08.11.2014 को अपरान्ह 02 बजे तक होगी। समस्त प्रस्ताव दिनांक 08.11.2014 तक इस उद्देश्य हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद यू पी ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, डा0 भार्गव की कोठी, चिल्ला रोड़, बाँदा पर लगे बाक्स में डाल सकते हैं अथवा डाक के माध्यम से भी भेज सकते हैं जो निर्धारित तिथि तक क्षेत्रीय कार्यालय को अवश्य प्राप्त हो जाये। डाक में देरी के लिये बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

परिसर की टेक्निकल बिड, अन्तिम निर्धारित तिथि के अगले कार्यदिवस अर्थात् 10.11.2014 को पूर्वान्ह 12 बजे क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक, डा0 भार्गव की कोठी, चिल्ला रोड़, बाँदा में खोली जायेंगी, जिसमें बिड प्रस्तुतकर्ता उपस्थित हो सकते हैं तथा फाइनेन्शियल बिड खोले जाने की सूचना चयनित टेक्निकल बिड प्रस्तावकों को तदनुसार प्रेषित की जायेगी।

बैंक को कोई पूर्व नोटिस दिये बिना अथवा कारण बताये बिना समस्त या किसी प्रस्ताव को निरस्त करने अथवा किसी भी स्तर पर कार्यवाही को स्थगित करने का पूर्ण अधिकार होगा।

**क्षेत्रीय प्रबन्धक**